

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक स03-6(1)स्था/मंत्रा/अभि/2016/८३७८-८७८८ दिनांक १०-५-१७

— आदेश —

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिपिक ग्रेड-द्वितीय को लिपिक ग्रेड-प्रथम के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति के कार्यवाही विवरण दिनांक 31.3.2016 के पुनरावलोकन करने हेतु दिनांक 09.05.2017 को आयोजित रिव्यु विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित लिपिक ग्रेड-द्वितीय को लिपिक ग्रेड-प्रथम के पद पर वर्ष 2015-16 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के वेतन बैण्ड(1) 5200-20200 तथा ग्रेड पे न.(10) 2800/-में पदोन्नति किया जाता है। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नति पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होगें।

| क्र. सं. | वरिष्ठता क्रमांक | नाम कार्मिक | वर्ग | रिक्ति की दिनांक | वर्तमान पदस्थापन | विशेष विवरण |
|----------|------------------|-----------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------|--|
| 1. | 25 | श्री मदन लाल पुत्र श्री अर्जुनराम | अ.जा | 01.04.15 | सेवा०नि० 30.04.17 (स०नि०३० नागौर) | इनकी वरिष्ठता लिपिक ग्रेड प्रथम के पद पर श्री दुर्गा निवास से उपर एवं श्री रामकरण से नीचे रहेगी। |
| 2. | 121 | श्री देवी सिंह पुत्र रमेश चन्द | सामान्य | 25.06.15 | सनिअ धौलपुर | इनकी वरिष्ठता लिपिक ग्रेड प्रथम के पद पर श्री तेजपाल सिंह से उपर एवं श्री पवन पारीक से नीचे रहेगी। |

श्री अमनदीप विश्नोई, की शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग की राय के अनुसार वर्ष 2015-16 में लिपिक ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नति हेतु लिपिक ग्रेड द्वितीय पद का नियमानुसार वांछित अनुभव/योग्यता नहीं होने के कारण उक्त रिव्यु विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर वर्ष 2015-16 में लिपिक ग्रेड प्रथम के पद पर दी गई पदोन्नति निरस्त कर लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर वेतन बैण्ड(1) 5200-20200 तथा ग्रेड पे न.(9) 2400/-में पदावनत कर नियुक्त किया जाता है। इनकी वरिष्ठता लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर पूर्वनुसार रहेगी।

उक्त कार्मिकों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित।
2. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
4. प्रशासनिक अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक, अभियोजन निदेशालय।
5. सम्बधित कार्मिक।
6. निजी पत्रावली/समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय।
7. रक्षित पत्रावली।

२१८, १०/५/१७
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर